कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 635 /प्र.अ./विधि/लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 17/01/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल/(वि./यां.) भोपाल/
   इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड.....

**विषयः**— कमोन्नती/समयमान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दायर किये गये न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी हेतु "आदेश प्रारूप" भिजवाने विषयक।

**संदर्भः**—इस कार्यालय का पत्र कमांक 14146 दिनांक 23.10.2023 एवं पत्र कमांक 16123 दिनांक 29.12.2023

—0—

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से कार्यभारित स्थापना के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2001 में कार्यभारित वाहन चालकों को दिये गये कमोन्नती योजना के लाभ एवं वर्ष 2008 में नियमित कर्मचारियो हेतु लागू की गई समयमान योजना का लाभ चाहने संबंधी रिट याचिकाओं का "विलंब और अवधि बीत जाने" के आधार पर प्रतिरक्षण करने एवं इस प्रकृति के अलग–अलग श्रेणी के प्रकरणों का निराकरण किस भांति किया जाना है, के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

इस कार्यालय के संज्ञान में इस प्रकृति के ऐसे प्रकरण भी आये हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित किसी अन्य प्रकरण का उदाहरण देते हुये उसमें पारित निर्णय के प्रकाश में, याचिकाकर्ता कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का निराकरण स्पीकिंग आदेश के माध्यम से करने के आदेश दिये गये है।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकृति के प्रकरणों में कमोन्नती/समयमान योजना की स्वीकृति/स्वीकृति का प्रस्ताव उच्च कार्यालय को भेजने के स्थान पर, इनका पूर्ण परीक्षण किया



a

जाना है तथा यदि यह पाया जाता है कि प्रकरण में Cause of action उत्पन्न होने के बाद अत्याधिक विलंब से दायर किया गया है तो उसे "**विलंब और अवधि बीत जाने**" के आधार पर अमान्य किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

इसी प्रकृति के एक प्रकरण जिसमें 04 कर्मचारी वर्ष 1987–88 में कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुये थे एवं वर्ष 2016–18 में सेवानिवृत्त हुये थे तथा एक अन्य कर्मचारी जो वर्ष 2003 मे कार्यभारित स्थापना में नियुक्त हुआ था तथा वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त हुआ था के द्वारा 12 वर्ष के उपरांत कमोन्नती योजना के लाभ हेतु तथा 10 , 20 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा उपरांत समयमान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021 में रिट याचिका दायर की गई थी।

उक्त रिट याचिका का निराकरण माननीय न्यायालय द्वारा एक अन्य रिट याचिका में पारित निर्णय के प्रकाश में अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश के माध्यम से किया गया था। लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिस रिट याचिका में पारित निर्णय के प्रकाश में अभ्यावेदन निराकरण करने के आदेश दिये गये थे, उसमें याचिकाकर्ता कर्मचारी को उक्त लाभ विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृत किये गये थे। ऐसे प्रकरण में अभ्यावेदनों का निराकरण इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये आदेश के माध्यम से किया गया है, जिसकी प्रतिलिपी आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि आपके खंड/मंडल/परिक्षेत्र के अधीनस्थ इस प्रकृति के प्रकरण हैं जिनमें कमोन्नती/समयमान योजना का लाभ चाहा गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यावेदन निराकरण के आदेश दिये गये हैं तो प्रकरण की प्रकृति को देखते हुये जहाँ तक संभव हो सके इस आदेश प्रारूप के अनुसार ही स्पीकिंग आदेश जारी करने का कष्ट करें।

यदि आपको इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो इस कार्यालय की विधि शाखा से आवश्यक मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जा सकता है।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः– **उपरोक्तानुसार**
**आदेश प्रारूप**

**प्रमुख अभियंता**

b

Seema 2024

अभ्यावेदन निराकरण आदेश का नमूना प्रारूप

अति आवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन,बाणगंगा,भोपाल

क्रमांक 47 / प्र.अ.(विधि) / लोस्वायांवि. / 2023 भोपाल, दिनांक 16/01/2024

/ /आदेश/ /

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कमांक 25086 / 2021 (हरीश तिवारी एवं 04 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संधारण खंड कमांक–2 इंदौर के अधीनस्थ कार्यरत रहे 05 सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों कमशः (1) श्री हरीश तिवारी (लाईन मेन) (2) श्री अशोक पेंटर (पेंटर) (3) श्री भीमराव (प्लम्बर) (4) श्री जगदीश पाल (हेल्पर) एवं (5) श्री नागेन्द्र सिंह (हेल्पर) के द्वारा रिट पिटीशन में चाही गयी सहायता के संबंध में निराकरण किया जा रहा है।

(1) श्री हरीश तिवारी एवं 04 अन्य सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन क. 25086 / 2021 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

(अ) याचिका को मान्य करते हुए प्रतिवादियों द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 07.09.2021 को निरस्त किया जावे।

(ब) प्रतिवादियों को आदेश दिये जावे कि वे याचिकाकर्त्ता कर्मचारियों को शासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार कमोन्नति योजना / समयमान वेतनमान योजना का लाभ सभी वित्तीय लाभों सहित प्रदान करे।

(स) प्रतिवादियों को आदेश दिये जावे कि वे याचिकाकर्त्ता कर्मचारियों को वेतन एरियर की राशि एव पेंशन लाभ प्रदान करें।

एमीस पोस्टर

(2) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित आदेश दिनांक 22 नवंबर 2021 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

On due consideration of aforesaid, the petition is disposed of by directing the petitioners to file a fresh representation within a week before the respondent No.4, who shall decide the same in accordance with law within a period of 6 weeks therefrom by passing a reasoned and speaking order taking into consideration the decision relied upon by the petitioners in Writ Appeal No.867/2020.

It is made clear that this Court has not expressed any opinion on merits of the matter.

(3) रिट याचिका क. 25086 / 2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के अनुपालन में सभी 05 सेवानिवृत्त कार्यभारित कर्मचारियो की ओर से एक संयुक्त अभ्यावेदन अधिवक्ता प्रखर मोहन कर्पे के माध्यम से दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुख्य अभियंता इंदौर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 16.03.2022 पर आपत्ति करते हुए याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दिनांक 23.08.2021 को प्रस्तुत अभ्यावेदन जो नियमित स्थापना के कर्मचारियों के समान कमोन्नति / समयमान योजना के लाभ प्रदान करने से संबंधित था, को मान्य करने का निवेदन किया गया है।